

पत्रावली प्रस्तुत हुई। बादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश स्वामी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तानील करावें। पत्रावली आगामी तारीख पेरी 28.05.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

28/5

पत्रावली पेश हुई। बादी/ उपखण्ड हाजिर। पीठासीन अधिकारी काय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वोद्देशानुसार तारीख 28/5/25 को पेश हो। वादी की ओर से अधिवक्ता पारिषद को नोटिस करके नोटिस तब या बाद खारिज किया जाने का कार्य कावेडन के माध्यम से किया।

श्यामलु 28/5

30/5/25 पत्रावली पेश। कृषि बाड़ी हाजिर। पत्रावली के अन्तर्गत नन्दकिशोर हानोहरिया हाजिर। वादी द्वारा पूर्व पंजी पर कावेडन इस कावयक पत्रावली कागजात है कि वादी अर्थात् ख.न. 376, ख.न. 795/378, 794/378 तथा ख.न. 375 के सम्बंध में किसी प्रकार का अड्डा नहीं चाहता है। पूर्व पत्रावली में वादी किसी प्रकार का विवाद व क्लेम नहीं करता है तथा नोटिस में करेगा। पत्रावली का बाद खारिज नहीं चाहता है, खारिज किया जावे। पूर्व पत्रावली में वादी द्वारा कावेडन 01R10 पर खारिज करके सभी तारीख अन्तर्गत पेश किया गया है। अतः वादी कंपनी का बाद खारिज करवाना चाहता है तथा कावेडन वगे कावेडन 01R10 पर प्रथम ही कंपनी का बाद - प्रस्तुत करके के लिए तारीख अन्तर्गत पत्रावली के वादी खारिज करवाना चाहता है अतः कावेडन 01R10 पर खारिज किया जाता है। वादी की वादी के अनुसार एवं कृषि बाड़ी के पत्रावली पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के तारीख अन्तर्गत ही कावयक कावेडन है, वादी के पत्रावली कावेडन के माध्यम से किया गया अतः

श्रीमान दावा आगे चलता नुही चाहता है पत्रावली पत्रावली पत्रावली